2015 का विधेयक सं.31

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह 21 जुलाई, 2015 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 21 का संशोधन.- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 21 में,-

(i) खण्ड (घ) के अन्त में आये विद्यमान शब्द "और" को हटाया जायेगा;

(ii) खण्ड (ङ) के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ";" प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(iii) इस प्रकार संशोधित खण्ड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित नये खण्ड जोड़े जायेंगे, अर्थात्:-

"(च) उसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या उसके समकक्ष किसी बोर्ड से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो; और

(छ) उस परिसर, जिसमें वह निवास करता है, में कार्यशील स्वच्छ शौचालय नहीं रखता हो और उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए जाता हो।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के खण्ड (छ) के प्रयोजन के लिए-

(i) "स्वच्छ शौचालय" से तीन दीवारों, एक दरवाजे और छत से घिरी हुई कोई जल-बंध (वाटर सील्ड) शौचालय प्रणाली या व्यवस्था अभिप्रेत है; और

(ii) "परिवार के सदस्य" से ऐसे व्यक्ति का/की पति/पत्नी, बच्चे और ऐसे व्यक्ति के साथ निवास कर रहे उसके माता-पिता अभिप्रेत हैं।"।

3. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश सं. 7) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी उक्त अध्यादेश के द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

____

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के उपबंध, नगरपालिकाओं के प्रतिनिधियों के लिए किसी भी शैक्षणिक अर्हता का उपबंध नहीं करते थे। यह महसूस किया गया था कि नगरपालिकाओं के चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अवधारित की जानी चाहिए।

सरकार ने यह भी विनिश्चित किया था कि नगरपालिकाओं के प्रतिनिधियों के घरों में शौचालयों का संनिर्माण और नियमित उपयोग अनिवार्य किया जाना चाहिए।

इस प्रयोजन के लिए यह महसूस किया गया था कि नगरपालिकाओं के चुनाव लड़ने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय होना चाहिए और उसके परिवार के सदस्यों में से कोई भी खुले में शौच के लिए न जाता हो।

इसलिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के उपबंध संशोधित किये जाने प्रस्तावित थे।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 21 जुलाई, 2015 को राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश सं. 7) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4(ख) में दिनांक 21 जुलाई, 2015 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

राजपाल सिंह शेखावत,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

21. सदस्य होने के लिए अर्हित व्यक्ति.- धारा 6 और 24 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, नगरपालिका में किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि-

(क) से (ग) XX XX XX XX XX

(घ) किसी अन्य स्थान की दशा में, वह व्यक्ति नगरपालिका के किसी वार्ड के लिए कोई निर्वाचक न हो; और

(ङ) चाहे स्थान आरक्षित है या नहीं, दोनों ही मामलों में उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो।

XX XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

Bill No. 31 of 2015

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (SECOND AMENDMENT) BILL, 2015

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities (Second Amendment) Act, 2015.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 21st July, 2015.

2. Amendment of section 21, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In section 21 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009),-

(i) in clause (d), the existing word "and", appearing at the end, shall be deleted;

(ii) in clause (e), for the existing punctuation mark " . " , appearing at the end, the punctuation mark " ; " shall be substituted;

(iii) after the clause (e), so amended, the following new clauses shall be added, namely:-

"(f) he has passed secondary school examination of the Board of Secondary Education, Rajasthan or of an equivalent Board; and

(g) he has functional sanitary toilet in the premises where he resides and no member of his family defecates in the open.

Explanation.- For the purpose of clause (g) of this section-

(i) "sanitary toilet" means a water sealed toilet system or setup surrounded by three walls, a door and a roof; and

(ii) "member of family" means spouse of such person, children and his parents living with such person.".

3. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Municipalities (Amendment) Ordinance, 2015 (Ordinance No. 7 of 2015) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The provisions of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 did not provide for any educational qualification for the representatives of Municipalities. It was felt that a minimum educational qualification should be determined for persons contesting elections for Municipalities.

Government had also decided that construction and regular use of toilets in the houses of representatives of Municipalities should be made compulsory.

For the purpose it had been felt that any person willing to contest elections for Municipalities must have a functional sanitary toilet in his house and any of his family members do not defecate in the open.

Therefore, the provisions of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 were proposed to be amended.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Rajasthan Municipalities (Amendment) Ordinance, 2015 (Ordinance No. 7 of 2015) on 21st July, 2015, which was published in Rajasthjan Gazette, Part IV(B), Extraordinary, dated 21st July, 2015.

The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

राजपाल सिंह शेखावत,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES ACT, 2009
(Act No. 18 of 2009)

XX XX XX XX XX XX

21. Persons qualified for being members.- Subject to the provisions contained in sections 6 and 24 a person shall not be qualified to be chosen to fill a seat on a Municipality unless-

(a) to (c) xx xx xx xx xx xx xx

(d) in the case of any other seat, such person is an elector for any ward in the Municipality; and

(e) he has attained the age of 21 years, in either case whether the seat is reserved or not.

XX XX XX XX XX XX

2015 का विधेयक सं.31

राजस्थान नगरपालिका (द्‌वितीय संशोधन) विधेयक, 2015

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,

विशिष्ट सचिव।

(राजपाल सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 31 of 2015

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (SECOND AMENDMENT) BILL, 2015

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Prithvi Raj,
Special Secretary.

(Rajpal Singh Shekhawat, **Minister-Incharge**)